न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

संदेहात्मक वाद सं0–08/18

राज्य बनाम सोमर तैली

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
24/03/2021	अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के पत्रांक–344, दिनांक–01.12.2017 के द्वारा संदेहात्मक जमाबंदी से संबंधित अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय में प्राप्त है। तद्नुसार वाद की कार्यवाही भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय में प्रारम्भ की गई। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा प्रतिवादी को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया। अंचल अधिकारी, कान्हचाट्टी के आदेश पत्रक में उल्लेखित है कि यह अभिलेख जमाबंदी सत्यापन से संबंधित जमाबंदीदार सोमर तैली पिता–फगु तैली खाता सं0–68 रकबा–5.40 एकड़ भूमि से है। उपायुक्त, चतरा पत्रांक–554/25.04.2012 अपर समाहर्त्ता, चतरा पत्रांक–455/14.05.2016 के आलोक में जमाबंदीदार को नोटिस निर्गत कर जमाबंदी कायम होने से संबंधित राजस्व कागजात की मॉग की गई। सूचना के आलोक में जमाबंदीदार द्वारा निर्धारित समयानुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष में राजस्व कागजात समर्पित किया गया। इस बीच राजस्व कर्मचारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। राजस्व कर्मचारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। राजस्व कर्मचारी द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा कैन्डीनगर खाता संख्या–68 प्लॉट संख्या–1761 कुल रकबा–5.40 एकड़ भूमि जमाबंदी रैयत सोमर तेली पिता–फगु तेली को बजरीयें हुकुमनामा से भूतपूर्व जमीन्दार से प्राप्त हुई है। जमाबंदी पूर्व के पंजी–II पृष्ठ संख्या–46/II भौलुम से वर्तमान पंजी–II के पृ0सं0 217/1 पर दर्ज है। जमाबंदी जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् से वर्ष 2011–12 तक निर्गत है। अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी द्वारा उल्लेखित किया गाया है कि जमाबंदीदार के वंशज द्वारा समर्पित जमीन्दारी रसीद भी अभिलेख में संलग्न है। जमीन्दार मथुरा तिवारी वो बासुदेव तिवारी खाता सं–68 प्लॉट सं0–1761 कुल रकबा–5.40 एकड़ भूमि को हुकुमनामा बन्दोबस्ती वर्ष 1942 से सोमर तेली वल्द फागु तेली को प्राप्त हुआ। जमीन्दार द्वारा दाखिल रिटर्न की सत्यापित प्रति जमाबंदीदार के वंशज द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिसमें जमाबंदीदार का उल्लेख है। आदेश पत्रक में अंचल अधिकारी द्वारा यह भी उल्लेखित किया	

1 Misc

गया है कि हल्का राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदितानुसार हल्का न्यायालय में उपलब्ध कागजात एवं जमाबंदीदार के वंशज द्वारा प्रस्तुत कागजात जो कि अभिलेख में संलग्न है के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबंदीदार के वंशज को खाता संख्या–68 प्लॉट सं0–1761 रकबा–5.40 एकड़ भूमि पर लम्बे अरसे से शांति पूर्वक दखल कब्जा में है एवं जोत कोड़ आवाद में है जो कि स्थल निरीक्षण के उपरांत प्रतित होता है। हल्का राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदितानुसार जमाबंदीदार के वंशज को खाता सं0–68 प्लॉट सं0–1761 रकबा–5.40 एकड़ भूमि की जमाबंदी नियमानुसार कायम की गई है। अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन अवलोकन से पाया कि खाता संख्या–68 प्लॉट संख्या–1761 रकबा–5.40 एकड़ भूमि की जमाबंदी पंजी–॥ पेज सं0–217/1 पर दर्ज है । उक्त भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है। आवेदित भूमि आवेदक को हुकुमनामा से प्राप्त है। दखल कब्जा एवं हुकुमनामा के आधार पर जमाबंदी की नियमित किया जा सकता है। अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी द्वारा अपने आदेश पत्रक में यह भी उल्लेखित किया है कि जमाबंदीदार द्वारा समर्पित राजस्व कागजात एवं हल्का राजस्व कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–कैण्डीनगर खाता संख्या–68 प्लॉट संख्या–1761 रकबा–5.40 एकड़ भूमि जमीन्दार द्वारा जमाबंदीदार को वर्ष 1942 ई0 में हुकुमनामा द्वारा बंदोबस्ती किया गया। जमाबंदीदार के वंशज द्वारा समर्पित जमीन्दारी एवं सरकारी लगान रसीद के अवलोकन से प्रतित होता है कि जमाबंदीदार सोमर तेली को खाता सख्या–68 प्लॉट संख्या–1761 रकबा–5.40 एकड़ भूमि की जमाबंदी जमीन्दारी समय से एवं जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् से ही कायम है। जिसकी लगान रसीद वर्ष 2011–12 तक निर्गत है। अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि उपायुक्त हजारीबाग पत्रांक–374/दिनांक–27.05.85 के आदेशानुसार जमीन्दारी रसीद के आलोक में प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी कायम की गई प्रतीत होता है। अतः खाता संख्या–68 प्लॉट संख्या–1761 रकबा–5.40 एकड़ भूमि का कायम जमाबंदी सोमर तेली के नाम से वैध प्रतीत होता है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग पत्रांक–5/स0भू0 को (अवैध हस्तांतरण)–123/2016 2681/(5) /रा0 दिनांक–8.06.2017 के आदेशानुसार मौजा–कैण्डीनगर खाता संख्या–68 प्लॉट संख्या–1761 रकबा–5.40 एकड़ भूमि का सोमर तेली के नाम कायम जमाबंदी की नियमित करने की अनुशंसा की जाती हैं।

प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि यह है कि प्रश्नगत मामला अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के द्वारा संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं0–79/2016–17 जो मौजा–कैण्डीनगर, थाना नं0–90 अंचल–कान्हाचट्टी अंतर्गत खाता

संख्या–68, प्लॉट संख्या–7161, रकबा–5.40 एकड़ भूमि का अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के द्वारा पूर्व से कायम जमाबंदी का नियमितिकरण हेतु की गई अनुशंसा पर अग्रेतर कार्रवाई से संबंधित है। यह कि प्रश्नगत भूमि भूतपूर्व जमीन्दार मथुरा तिवारी वो बासुदेव तिवारी के द्वारा हुकमनामा के आधार पर दिनांक–14.02.1942 से सोमर तैली वल्द फागु तैली को प्राप्त है। यह कि उक्त हुकुमनामा के आधार पर भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा रैयत के नाम से प्रश्नगत खाते की भूमि का नियमित रिटर्न भी सरकार को दाखिल किया जा चुका है। यह कि उक्त खाते से संबंधित भूमि पर रैयतों के पूर्वजों का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा एवं जोत अबाद रहा है एवं उनके मृत्यु उपरांत उनके वंशज भी दखल–काबिज हैं तथा जोत आबाद करके जीवकोपार्जन कर रहे हैं जो तत्कालीन अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के द्वारा उक्त भूमि का संदेहात्मकवाद को नियमितिकरण करने हेतु की गई अनुशंसा से स्पष्ट है। यह कि हुकुमनामा प्राप्त के पश्चात् जमीन्दारी उन्मुलन के पूर्व तक भुतपूर्व जमीन्दार द्वारा नियमित रूप से लगान वसूली कर लगान रसीद जमाबंदी रैयत के नाम से निर्गत किया जाते रहा है। यह कि जमीन्दारी उन्मुलन के पश्चात् सक्षम प्राधिकार के आदेश से पंजी–॥ में जमाबंदी कायम होकर नियमित रूप से जमाबंदी रैयत के नाम से वर्ष 2011–12 तक लगातार सरकारी लगान रसीद निर्गत होते आ रहा है। यह कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देशानुसार वर्ष 1917–18 से आजतक पंजी–॥ में ऑनलाईन जमाबंदी दर्ज होकर ऑनलाईन लगान रसीद नियमित रूप से निर्गत हो रहा है। यह कि प्रश्नगत खाते की जमाबंदी पूर्व में भवदीय उपायुक्त, हजारीबाग का पत्रांक–374 दिनांक–27.05.1985 के अनुसार नियमित रूप से सत्यापन के पश्चात् पूर्व से कायम जमाबंदी को पुनः सक्षम प्राधिकार के आदेश से पंजी–॥ के पृष्ठ संख्या–217/1 पर कायम जमाबंदी वैध करार करते हुए सरकारी लगान रसीद निर्गत किया जा रहा है। यह कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत विभागीय पत्रांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016, 2861 (5)/रा0 दिनांक–28.06.2017, 6144 (5)/रा0 दिनांक–21.12.2017 एवं 2884 (5)/रा0 दिनांक–10.07.2018 एवं 1704/रा0 दिनांक–15.07.2020 के संदर्भ में भवदीय उपायुक्त, चतरा का पत्रांक–747/रा0 दिनांक–25.07.2020 का कृपया अवलोकन किया जाय। यह कि भवदीय उपायुक्त, चतरा का निर्गत विभागीय पत्रांक–747/रा0 दिनांक–25.07.2020 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि दिनांक–01.01.1945 के पूर्व निबंधित विक्रय पत्र/पट्टा/हुकुमनामा के आधार पर पंजी–॥ में संधारित गैरमजरूआ/बकास्त भूमि से संबंधित जमाबंदी को सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों एवं निर्देशों के आलोक में कायम जमाबंदी के नियमितिकरण की कार्यवाही की जाए निदेशित है। यह कि विभागीय पत्रांक–747/रा0 दिनांक–25.07.2020 के कंडिका 05 में यह भी निर्देशित है कि जिन मामलों

में सक्षम प्राधिकार द्वारा भूमिहीन एवं सुयोग्य व्यक्तियों को नियमत:गैर–मामलों में बंदोबस्ती पंजी/पट्टा एवं अन्य संबंधित अभिलेख के सत्यापन एवं भौतिक सत्यापनोपरांत पूर्णतः संतुष्ट होकर संबंधित अंचल अधिकारी आदेश पारित करेंगे तथा पंजी–II में तदनुसार ऑनलाईन प्रविष्टि करते हुए जमाबंदी को नियमित करेंगे। यह कि उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर अवलोकनोपरांत यह स्पष्ट है कि भूतर्पव जमीन्दार द्वारा हुकुमनामा के आधार पर सरकार को दाखिल रिटर्न एवं नियमित रूप से रैयत के नाम से कायम जमाबंदी को सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत विभागीय परिपत्रों आदेशों, निर्देशो से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत खाते की भूमि की कायम जमाबंदी रैयत के नाम से नियमित एवं वैध है। यह कि उपरोक्त परिपत्रों/आदेशों/निर्देशों के आलोक में प्रश्नगत खाते की पूर्व से कायम जमाबंदी को संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा भौतिक सत्यापनोपरांत समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन अंचलाधिकारी, कान्हाचट्टी के द्वारा जमाबंदी वैध करार देते हुए नियमित करने की अनुशंसा की गई है। यह कि उपरोक्त परिपत्रों एवं उपायुक्त, चतरा का निर्गत पत्रांक–744/रा0 दिनांक–25.07.2020 के आलोक में पुनः इस मामले में नियमितिकरण की कार्यवाही भवदीय न्यायालय में जारी रखना औचित्य प्रतीत नहीं होता है और न ही माननीय न्यायालय में पुनः (Maintainable) पोषणीय है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर विचारोपरांत तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत मामले में नियमितिकरण से संबंधित की गई अनुशंसा को स्वीकृति करने की कृपा की जाय।

उपरोक्त तथ्यों से निम्नांकित मुख्य बिन्दु परिलक्षित होते है:–

- **<u>गैरमजरूआ खास जमीन का मामला।</u>**
- **<u>हुकुमनाम से प्राप्त जमीन</u>**

➢ **गैरमजरूआ खास जमीन का मामला** – अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी द्वारा अपने आदेश पत्रक में उल्लेखित किया गया है कि अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन अवलोकन से पाया कि खाता संख्या–68 प्लॉट संख्या–1761 रकबा–5.40 एकड़ भूमि की जमाबंदी पंजी–II पेज सं0–217/1 पर दर्ज है। **उक्त भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है।**

➢ **<u>हुकुमनाम से प्राप्त जमीनः–</u>** अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी द्वारा अपने आदेश पत्रक में यह भी उल्लेखित किया है कि जमाबंदीदार द्वारा समर्पित राजस्व कागजात एवं हल्का राजस्व कर्मचारी वो अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता

है कि **मौजा–कैण्डीनगर खाता संख्या–68 प्लॉट संख्या–1761 रकबा–5.40 एकड़ भूमि जमीन्दार द्वारा जमाबंदीदार को वर्ष 1942 ई0 में हुकुमनामा द्वारा बंदोबस्ती किया गया।**

विक्रय पत्र /पट्टा/हुकुमनामा से संबंधित जमीन के लिए उत्पन्न हो रही समस्याओं के निराकरण एवं सरलीकरण हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची से दिशा–निर्देश प्राप्त है। सरकार के सचिव का पत्रांक–06 भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 के पारा 9 के कंडिका (II) में स्पष्ट निदेश दिया गया है।

पत्रांक–06 भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 के पारा 9 के कंडिका (II) के अनुसार–"विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 द्वारा दिनांक–01.01.1946 के पूर्व निबंधित (विक्रय पत्र/पट्टा/हुकुमनामा) के आधार पर पंजी–II में संधारित गैरमजरूआ भूमि से संबंधित जमाबंदियों में ऑनलाईन दाखिल–खारिज एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की कार्रवाई अंतिम रूप से संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा की जायेगी। अंचल अधिकारी अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी हेतु चिन्हित भूमि का रद्द करने हेतु खोले गये अभिलेख में ही सभी अपेक्षित दस्तावेजों के सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात् पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत आदेश पारित करेंगे एवं तदनुरूप ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करेंगे। इस निदेश के बाद अभिलेख को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/अनुमण्डल पदाधिकारी को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। इस हद तक विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 को संशोधित समझा जाय। इस कार्रवाई में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी इसके लिए पूर्णतः दोषी होंगे।"

उपरोक्त अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी का आदेश, अभिलेख में संलग्न कागजातों/तथ्यों से स्पष्ट है कि इस वाद में पुनः विधिसम्मत/न्याय संगत एवं संबंधित पक्षों को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर देते हुए अंचल अधिकारी आदेश पारित करेंगे।

अतः अधिकारी, कान्हाचट्टी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु आदेश की प्रति एवं संबंधित अभिलेख वापस भेजें।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2022.02.15 04:09:10 -08:00
Location: 2401:4900:3840:6347:4813:47ca:9b65:19dc

24/03/2021

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

24/03/2021

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।